फर्द अहकाम

[नियम 26]

...त उपखण्ड अधिकारी, अलवर मुकाम अलवर

........सरकार........ बनाम ....सरकार........

...दमा ......136 LR Act...... नं० .... सन् ....

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...23	पत्रावली अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम के तहत पेश की। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी को नोटिस जारी हो, प्रकरण में तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट भिजवाये जाने हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली दि० 10/2/2023 को पेश हो। [signature]	
	10/2/23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 23/2/23 को पेश हो। [signature] रीडर	
	23/2/23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 27/3/23 को पेश हो। [signature] रीडर	
...3-23	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट अप्राप्त रिपोर्ट के इन्तजार में पत्रावली दिनांक 19-4-23 को पेश होवे। [signature] उपखण्ड अधिकारी अलवर	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुकम में

19-4-23
वकील वादी/वकुलाय [illegible] बार का कार्य
स्थगन होने के कारण [illegible]
दिनांक 24-5-23 ...को पेश हो।

24-5-23
वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य
स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते........
दिनांक 29-8-23 .....को पेश हो।

29-8-23
वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य
स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते........
दिनांक 26-9-23 .....को पेश हो।

26-9-23
वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य
स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते........
दिनांक 9-11-23 .....को पेश हो।

9-11-23
पीठासीन अधिकारी चुनाव कार्य में
व्यस्त होने के कारण पेशी
दिनांक 22-1-24 लगाई जाती है।

रीडर

22-1-24
वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य
स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते........
दिनांक 18-3-24 .....को पेश हो।

18-3-24
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों
में व्यस्त है। दिनांक........ 1-5-24
को पेश हो।

रीडर

1-5-24
पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०।
पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों
में व्यस्त है। दिनांक........ 26-6-24
को पेश हो।

रीडर

फर्द अहकाम

[नियम 26]

दालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर मुकाम अलवर

.... बनाम ....

मुकदमा ....नं० ....सन् ....

तारीख अहकाम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.6.24	पत्रावली पेश हुई तहसीलदार रिपोर्ट बाबत गौर पत्रावली दि० 8.7.24 को पेश होवे। B उपखण्ड अधिकारी अलवर	
8.7.24	पत्रावली पेश हुई रिकार्ड/रिपोर्ट का अवलोकन किया गया पत्रावली बाबत आदेश दि० 6-8-24 को पेश होवे। B उपखण्ड अधिकारी अलवर	
6-8-24	पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली नम्बर से कम हो बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे। B उपखण्ड अधिकारी अलवर	

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी –श्री प्रतिक जुईकर (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
03/01	11.01.2023	136 LR Act	06.08.2024

बउनवान

1–सरबो पत्नि हरिसिंह उम्र करीब 67 साल जाति जाट निवासी ग्राम गून्दपुर तहसील व जिला अलवर

2–टीकाराम पुत्र हरिसिंह उम्र करीब 40 साल जाति जाट निवासी ग्राम गून्दपुर तहसील व जिला अलवर

3–हरिराम चौधरी पुत्र हरिसिंह उम्र करीब 45 साल जाति जाट निवासी ग्राम गून्दपुर तहसील व जिला अलवर

4–विधा पुत्री हरिसिंह पत्नि रूपराम उम्र करीब 43 साल जाति जाट निवासी ग्राम गून्दपुर तहसील व जिला अलवर हाल निवासी ग्राम मिर्जापुर तहसील मालाखेडा

प्रार्थी

बनाम,

1–राजस्थान राज्य तहसीलदार साहब, अलवर लैण्ड होल्डर, तहसील अलवर जिला अलवर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि छीतर पुत्र मोटा जाति जाट निवासी गून्दपुर तहसील अलवर जो हम सायलान के ससुर व दादा थे जिनकी आराजी कुल किता 19 रकबा 17 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम गून्दपुर तहसील अलवर में वाके हैं उक्त छीतर का स्वर्गवास हो गया हैं जिसका इन्तकाल विरासत हम सायलान के पति व पिता हरिसिंह व हरिसिंह के भाई फरोली के नाम दर्ज व स्वीकार किया गया हैं यह कि उक्त आराजी में से खसरा नंबर 453 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा जिसके हाल नंबर 735 रकबा 0.54 है0 ग्राम गून्दपुर में गलत तरीके पर हम सायलान के पिता व पति हरिसिंह के बजाय हरिराम दर्ज संवत 2027 रेवेन्यू रिकार्ड में किया गया है व इसी अनुसार बाद की जमाबंदी में अमल आ रहा है। उक्त हाल खसरा नंबर 735 रकबा 54 है। फरोली ने अपना 1/2 निस्फ हिस्सा श्रीमति सरबो सायला नंबर 1 को फरोख्त

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

कर दिया है हम सायलान ग्रामीण परिवेश के रहने वाले हैं व कानून से अनभिज्ञ है हम सायलान को यह कतई इल्म नही था कि उक्त खसरा नंबर 735 रकबा 54 है0 में हम सायलान के पिता व पति का नाम हरिसिंह के बजाय हरीराम दर्ज कर दिया हैं यह कि हम सायलान पति व पिता हरिसिंह का स्वर्गवास तारीख 04–11–2015 को हो गया है जिसके बाबत उक्त आराजी खसरा नंबर 735 रकबा 54 है० का इन्तकाल दर्ज करवाने के लिए प्रार्थना पत्र तहसीलदार अलवर के यहां पेश किया लेकिन गैरसायल ने इन्तकाल विरासत उक्त आराजी का हमारे पक्ष में दर्ज व स्वीकार नही किया व कहा कि उक्त आराजी में हरिराम का नाम दर्ज है। इसलिए उक्त हरिसिंह का इन्तकाल विरासत हमारे नाम दर्ज व स्वीकार नही किया। जबकि हरिसिंह का अन्य आराजीयात में जो उसको विरासत में मिली हैं रेवेन्यू रिकार्ड में हरिसिंह का नाम दर्ज हैं लेकिन मौजूदा हाल खसरा नंबर 735 रकबा 54 है0 में हम सायलान के पति व पिता का नाम हरिराम गलत तरीके से दर्ज कर दिया गया जबकि हमारे पति व पिता का हरिसिंह है सायलान के पति व पिता हरिसिंह का उसके सरकारी रिकार्ड व आधार कार्ड व पहचान पत्र व राशन कार्ड व अन्य रेवेन्यू रिकार्ड में नाम हरिसिंह अंकित है लेकिन साबिक आराजी खसरा नंबर 453 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा हाल खसरा नंबर 735 रकबा 54 है० में हमारे पति व पिता का नाम हरिसिंह के बजाय हरिराम दर्ज किया है जो दुरूस्त होने योग्य है। यह कि उक्त इन्द्राज कागजात माल में कायम रहने से हम सायलान के हकूक खातेदारी जायल होकर खतरे पड जाने का अदेशा है। जिससे प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम आया है अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर छीतर पुत्र मोटा जो सायलान का ससुर व दादा था जिसका स्वर्गवास होने पर उसकी आराजी वाके ग्राम गून्दपुर तहसील व जिला अलवर किता 19 रकबा 17 बीघा 16 बिस्वा का इन्तकाल विरासत नंबर 23 जो सायलान के पति व पिता के नाम व छीतर के पुत्र फरोली के नाम दर्ज व स्वीकार किया गया। लेकिन जमाबंदी संवत 2027 से ताहाल में सायलान का पति व पिता का नाम आराजी खसरा नंबर 453 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा जिसके हाल नंबर 735 रकबा 0.54 है0 वाके ग्राम गून्दपुर में गलत तरीक पर हरिराम पुत्र छीतर दर्ज किया है जो दुरूस्त किया जाकर हरिसिंह पुत्र छीतर दर्ज किये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया प्रकरण प्रार्थना पत्र का नियमो के परिपेक्ष्य मे अवलोकन किया गया मुताबिक पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार विरासत नामान्तकरण स0 23 वाके ग्राम गुन्दपुर तहसील अलवर छीतर पि0 मोटा जाति जाट सा0 देह की विरासत, वारिसान हरिसिंह, फरोली पि छीतर कोम जाट सा0 देह समभाग हि0 के नाम दर्ज होकर दिनॉक 25–3–1972 को अंकन किया गया था जिसके बावत प्रार्थना की है कि हरिराम पुत्र छीतर के स्थान पर हरिसिंह पुत्र छीतर दर्ज किया जावे बावत निवेदन किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र एल0आर0एक्ट की धारा 136 के तहत आवेदन किया गया है परन्तु प्रकरण धारा 136 के अन्तर्गत नही आने के कारण आवेदन खारिज किया जाता है प्रार्थी किसी भी न्यायालय मे सम्बंधित धाराओ के अन्तर्गत वाद दायर कर रिलिफ पाने के लिये स्वतन्त्र है।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

निर्णय आज दिनांक 06-08-2024 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

Scanned with OKEN Scanner